Witness No 02 For **अभियोजन साक्षी** Deposition taken the **28–06–2023** day of **बुधवार** Witness's apparent age **57 वर्ष** State of affirmation **शपथपूर्वक** My Name is **घनश्याम प्रधान** Son/Wife of **श्री रामो प्रधान** Occupation **आबकारी उपनिरीक्षक** Address **आबकारी वृत्त बाराद्वार, जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)**

CRIMINAL CASE 1537/2022
State of Chhattisgarh Vs Sushila Bai
Time 04:10 to 04:20

01– मैं दिनांक 02–03–2022 से 03–08–2022 तक आबकारी वृत्त बलौदा में आबकारी उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ हूं। पदस्थापना के दौरान दिनांक 16–07–2022 को ग्राम खिसोरा में आरोपिया सुशीला बाई ने अत्यधिक मात्रा में शराब रखा है कि सूचना पर मुखबिर सूचना एवं सर्च वारंट न ले पाने का पंचनामा गवाह पांचो बाई एवं रामकुमार के समक्ष तैयार किया जो **प्र.पी. 01** है जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। उक्त गवाहों को कायर्वाही में उपस्थिति हेतु तलब कर धारा 160 दं.प्र.सं. का नोटिस दिया, नोटिस **प्र.पी. 02** है जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

02– उक्त गवाहों के समक्ष जामातलाशी पंचनामा तैयार किया जो **प्र.पी. 03** है जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। गवाहों के समक्ष आरोपी की तलाशी लिए जाने पर एक दस लीटर क्षमता वाली सफेद रंग के प्लास्टिक जरीकेन में भरा कुल 9 लीटर तरल द्रव रखे हुए मिला, तलाशी पंचनामा **प्र.पी. 04** है जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

03– मौके पर ही आरोपी से मिले उक्त तरल द्रव का जांच गवाहों के समक्ष किया था, द्रव्य रंगहीन, सूंघने पर हाथभट्ठी शराब की गंध वाला, लिटमस पेपर डालने पर हल्का गुलाबी का होना तथा हाइड्रोमीटर व थर्मामीटर की तेजी 66.3 डिग्री यूपी पाया गया। जांच पंचनामा **प्र.पी. 05** है जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। उक्त गवाहों के समक्ष सील पेपर पंचनामा तैयार किया जो **प्र.पी. 06** है जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। आरोपी के आधिपत्य से उक्त शराब होने के कारण मेरे द्वारा गवाह के समक्ष उक्त शराब जप्ती किया गया, जप्ती पत्रक **प्र.पी. 7** है जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

04– मेरे द्वारा आरोपी को धारा 34(2) छ.ग. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी पत्रक **प्र.पी. 08** है जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मेरे द्वारा गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजन को दिया था, गिरफ्तारी सूचना पत्र पंचनामा **प्र.पी. 9** है जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मौके पर घटनास्थल का नजरीनक्शा तैयार किया गया जो **प्र.पी. 10** है जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। उक्त गवाहों के मकान आधिपत्य का पंचनामा तैयार किया जो **प्र.पी. 11** है जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मेरे द्वारा गवाहों का कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया गया है। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

प्रतिपरीक्षण वास्ते सुश्री शकुंतला भारद्वाज अधिवक्ता वास्ते आरोपी

05– यह कहना गलत है कि मैंने गवाहों को कोई नोटिस नहीं दिया था। यह कहना सही है कि उक्त प्रकरण के दोनों गवाह आरोपी के अड़ोस पड़ोस के नहीं हैं। यह कहना सही है कि आरोपी के घर के अगल बगल और अन्य लोगों का मकान है। यह कहना सही है कि मैंने आरोपी के घर के अगल बगल के लोगों को गवाह नहीं बनाया है। यह कहना सही है कि घटनास्थल के स्वामित्व के संबंध में मैं कोई राजस्व दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं किया हूं। यह कहना सही है कि मैं गवाहों का पृथक से तलाशी पंचनामा तैयार नहीं किया हूं।

06– यह कहना सही है कि प्रकरण में जांच हेतु प्रयोग किया गया नीला लिटमस पेपर को संलग्न नहीं किया हूं। यह कहना सही है कि कोई भी क्षारीय पदार्थ में नीला लिटमस पेपर डालने से उसका प्रभाव भी रंगहीन होता है। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा द्वारा जप्तशुदा शराब का विधिवत परीक्षण नहीं किया गया है। यह कहना सही है कि मैंने जप्तशुदा पदार्थ का पृथक से पंचनामा तैयार नहीं किया है।

07– यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा गवाहों के समक्ष अभियुक्त से कोई मदिरा जप्त नहीं की गयी है और न ही गवाहों के समक्ष कोई कार्यवाही नहीं किया गया है। यह कहना सही है कि मैने मकान स्वत्व एवं आधिपत्य के संबंध में प्रकरण में कोई राजस्व दस्तावेज पेश नहीं किया हूं। यह कहना सही है कि उक्त द्रव्य को रासायनिक परीक्षण के लिए नहीं भेजा था। यह कहना सही है कि वाहन की तलाशी नहीं दिये थे। यह कहना सही है कि मैंने अपने उच्चाधिकारी से अनुमति नहीं लिया था।

08– यह कहना सही है कि रवानगी एवं वापसी सान्हा प्रकरण में पेश नहीं किया है। यह कहना सही है कि पटवारी से कोई नक्शा तैयार नहीं करवाया है। यह कहना गलत है कि आरोपी से काई तरल पदार्थ जप्त नहीं किये है। यह कहना सही है कि उपरोक्त तरल पदार्थ को नापने संबंधी कोई भी सामान से मैंने नहीं नापा था। यह कहन सही है कि मैंने अपने दिमाग से अंदाजा लगाकर पांच लीटर व दो लीटर बताया था। यह कहना गलत है कि घटनास्थल का नजरीनक्शा मौके पर जाकर तैयार नहीं किया है। यह कहना गलत है कि प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही आबकारी कार्यालय में बैठकर तैयार किया है। यह कहना गलत है कि मैंने गवाहों का हस्ताक्षर समस्त दस्तावेजों पर कार्यालय पर कराया था। यह कहना गलत है कि खानापूर्ति करने के लिए आरोपी के विरूद्ध झूठा प्रकरण तैयार किया हूं।

<u>वाचित स्वीकृत</u>
सही/–
(जितेन्द्र कुमार ठाकुर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)

<u>मेरे निर्देश पर टंकित</u>
सही/–
(जितेन्द्र कुमार ठाकुर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जांजगीर–चांपा (छ.ग.)